न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 07/2017

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर		अनवर खां पुत्र लुकमान खां जाति मुसलमान निवासी कंसारों का धोरा, बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री महावीर मेहता, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 01.10.2019

1. सायल की ओर से दिनांक 04.09.2017 को गैर सायल अनवर खां पुत्र लुकमान खां जाति मुसलमान निवासी कंसारों का धोरा, बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरुरी है। इसके जुर्म से कस्बा बालोतरा की आम जनता परेशान हैं, उक्त गैर सायल सार्वजनिक स्थान पर ताश के पतों पर रुपये का दाव लगाकर जुआ खेलता है जिससे एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगडे होते रहते हैं जिससे सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त होता है। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (v) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है—

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

क्र. सं.	मु. नं. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	38/26.01.12	13 RPGO Act	बालोतरा	15/31.01.12	50/– अर्थदण्ड
2	211/07.05.12	13 RPGO Act	बालोतरा	110/31.05.12	100/– अर्थदण्ड
3	179/03.05.14	13 RPGO Act	बालोतरा	136/05.06.14	100/– अर्थदण्ड
4	221/05.06.14	13 RPGO Act	बालोतरा	163/29.06.14	100/– अर्थदण्ड
5	08/04.01.17	13 RPGO Act	बालोतरा	07/23.01.17	100/– अर्थदण्ड

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल ने दिनांक 07.03.2018 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री भंवरलाल थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा के बयान करवाए गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाए गए।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध 13 RPGO Act के 05 अपराध दर्ज हुए है जिसमें सभी मुकदमो में न्यायालय द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2 के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एंव इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करते हुए निर्णय किये गये हैं जिसके बाबत अधिवक्ता गैरसायल का कथन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति द्वारा निस्तारित हुए हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2017 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, न ही गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिंता अथवा अन्य किसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज होना रेकर्ड पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विधमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमा शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)